150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2020–21

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का संस्थान)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन : 0141-2227079, फैक्स : 0141-2227257

वैबसाइट : industries.rajasthan.gov.in/rajsico

Email : rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:- U91110RJ1961SGC001118

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन–0141–2227079, फैक्स–0141–2227257,
वैबसाइटः industries.rajasthan.gov.in/rajsico
E- mail - rajsico@rajastan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020–21

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0 की स्थापना राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्पयों को सहायता, प्रोत्साहन देने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 03 जून 1961 को की गयी। तब से निगम निरन्तर समयानुकूल प्रासंगिक सुधारों के साथ इस दिशा में प्रयत्नशील है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के नाते अपने लाभ को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु समय के परिवर्तन के साथ अपने उत्पादों में परिवर्तन करना, नये–नये डिजाइन एवं तकनीक का सम्मिश्रण करना, व्यावसायिक मांग के अनुकूल उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाना एवं इसके साथ ही कल्याणकारी संस्थान के नाते हस्तशिल्पियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याण हेतु सीधा लाभ देने वाले कार्यक्रमों को संचालित करने का दायित्व भी निगम वहन करता है ।

संगठनात्मक ढांचा दिनांक 31.12.2020

अध्यक्ष
↓
प्रबन्ध निदेशक
↓

मुख्य लेखाधिकारी | कम्पनी सचिव | विशेषाधिकारी | प्रबन्धक

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर में दिनांक 31.12.2020 तक स्वीकृत, कार्यरत, प्रतिनियुक्ति पद एवं रिक्त पदों की सूचना

स्थिति	पद संख्या
स्वीकृत पद	301(229 नियमित 72 आउटसोर्स)
निगम में कार्यरत कर्मी	34
निगम कर्मी अन्य विभागों में विपरित प्रतिनियुक्ति पर	09
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी	09
सेवा निवृत्त कर्मचारी संविदा पर	16
आउटसोर्स (एजेन्सियों के मार्फत)	36
योग	104

व्यापारावर्त का तुलनात्मक विवरण (मूल्य रू. लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	व्यापारावर्त
1.	2018—19	9738.36
2.	2019—20	2051.05
3.	2020—21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	1667.48

* उक्त राशि में आई.सी.डी. एवं एयर कारगों से प्राप्त हैण्डलिंग चार्जेज राशि भी सम्मिलित है।

लाभांश

निगम ने वर्ष 1996—97, 1997—98 व 1998—99 के लिए राज्य सरकार को क्रमशः रू. 25.72 लाख, रू. 36.01 लाख व रू. 51.44 लाख का लाभांश प्रदान किया है।

निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं :

1. राज्य के हस्तशिल्पियों एवं हस्तशिल्प के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रोत्साहन एवं कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना तथा संचालन करना।

2. राजस्थान के हस्तशिल्प के विपणन हेतु प्रदर्शनी/मेला तथा राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रयास करना।

3. हस्तशिल्प विपणन हेतु नये बाजारों की खोज कर हस्तशिल्पियों को सहायता प्रदान करना।

4. लघु उद्योग इकाइयों को राजकीय खरीद तथा खुले बाजार हेतु विपणन सहायता उपलब्ध कराना।

5. राजस्थान के हस्तशिल्प के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता पैदा करना।

6. लघु उद्योग इकाइयों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल सहायता उपलब्ध कराना।

7. राज्य के निर्यातकों/आयातकों को आई.सी.डी. तथा एयर कारगो कॉम्पलैक्स के माध्यम से आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।

8. राज्य की लघु उद्योग इकाइयों, दस्तकार तथा निर्यातक इकाइयों के लिए अन्य लाभकारी गतिविधियों की परिकल्पना तथा क्रियान्वयन ।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निगम की गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :–

1. हस्तशिल्प

   (क) व्यावसायिक गतिविधियाँ

   (ख) प्रोत्साहनात्मक गतिविधियाँ

2. लघु उद्योग इकाईयों को कच्चा माल एवं विपणन सहायता

3. निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाऐं

1. हस्तशिल्प

(क) व्यावसायिक गतिविधियाँ

निगम द्वारा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके द्वारा तैयार किये जा रहे हस्तशिल्प के सामान के विपणन हेतु वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों यथा जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, में राजस्थली विक्रय केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रू. 606.80 लाख के हस्तशिल्प सामान की बिक्री की गयी है एवं राशि रू. 551.69 लाख के हस्तशिल्प सामान का क्रय किया गया है। इसमें केन्द्रीय भण्डार अनुमोदन के आधार पर एवं Quality Sales Target (QST) की गयी खरीद भी सम्मिलित है।

निगम की विभिन्न राजस्थलियों में हस्तशिल्प के क्रय –विक्रय के आंकडे निम्नानुसार है :–

हस्तशिल्प का क्रय–विक्रय

(मूल्य रू. लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	क्रय	विक्रय
1.	2018–19	531.49	614.16
2.	2019–20	551.69	606.80
3.	2020–21 दिसम्बर तक	123.07	140.41

नोट :– 1. विक्रय राशि में कन्साइनमेंट सेल एवं गुडस ऑन अप्रूवल की सेल व कारपोरेशन सेल भी सम्मिलित है ।

2. क्रय राशि में कन्साइनमेन्ट काउन्टर के माल की क्रय कीमत सम्मिलित है ।

केन्द्रीय भण्डार/हैण्डीक्राफ्टस सोर्सिंग हब

केन्द्रीय भण्डार द्वारा हस्तशिल्पियों से ही उनके द्वारा उत्पादित सामान की खरीद की जाती है। निर्धारित दरों पर केन्द्रीय भण्डार द्वारा मांग के अनुसार हस्तशिल्पियों को आर्डर दिया जाता है एवं सप्लाई हेतु उचित समय दिया जाता है। केन्द्रीय भण्डार द्वारा हस्तशिल्पियों के सामान को स्वीकृत किये जाने के बाद सामान्यतः 3 दिवस में भुगतान कर दिया जाता है। इसी के साथ अनुमोदन के आधार पर खरीद एवं बिक्री व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है ।

हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्पलैक्स, जयपुर

राजस्थान के हस्तशिल्प को बढावा देने एवं भ्रमण हेतु राजस्थान आने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों को एक ही छत के नीचे हस्तशिल्प का सामान उपलब्ध कराने एवं पर्यटन सम्बन्धित जानकारी व सुविधाऐं देने के उद्धेश्य से अजमेरी गेट पर एक वृहद हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्पलैक्स की परिकल्पना की गई थी।

कॉम्पलैक्स का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। कॉम्पलैक्स में नव निर्मित राजस्थली शोरूम मार्च 2007 से प्रारंभ कर दिया गया था। राजस्थली नई दिल्ली के भवन का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर शोरूम जुलाई 09 से पूर्व स्थान पर शुरू कर दिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनात्मक गतिविधियॉ

(1) हस्तशिल्पियों को पुरस्कार

हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारम्भ की गई। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना में चयन आदि का सम्पूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तरीय पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 25,000/– नकद, ताम्र पत्र व अंगवस्त्र तथा दक्षता प्रमाण–पत्र पाने वाले शिल्पी को रू0 5000/–नकद, दक्षता प्रमाण–पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है ।

प्रदेश में वर्ष 1983–84 से 2011–12 तक की अवधि के लिये आयोजित राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रतियोगिताओं में दस्तकारों को निम्न विवरणानुसार पुरस्कृत किया गया ।

क्र.सं.	वर्ष	राज्य पुरस्कार	दक्षता प्रमाण–पत्र
1.	1983 से 2006	190	220
2.	2006–07	11	5
3.	2007–08	4	6
4.	2008–09	8	8
5.	2009–10	8	8
6.	2010–11	6	7
7.	2011–12	8	8

(2) राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना

राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना के लिये राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कोरपस फण्ड की स्थापना की गई है । इस कोरपस फण्ड में राज्य सरकार ने 50 लाख, रीको ने 30 लाख, आर.एफ.सी ने 15 लाख व निगम ने 5 लाख रूपये की राशि अंशदान के रूप में दी है। इस योजना में हस्तशिल्पियों के लिये असाध्य रोगो के ईलाज हेतु वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था पेंशन तथा सामूहिक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है।

(3) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

राज्य सरकार की ओर से राजस्थान मण्डप, प्रगति मैंदान, नई दिल्ली में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर संयोजन कार्य निगम द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में 39वॉ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2019 दिनांक 14.11.2019 से 27.11.2019 तक सफलतापूर्वर्क आयोजित किया गया। इस वर्ष मेले का थीम **"इज ऑफ डूईंग बिजनेस** था। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण यह मेला आयोजित नही किया गया।

2. लघु उद्योग इकाईयों को कच्चा माल सहायता

(अ) राज्य में लघु इकाईयों के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जैसे लौह एवं इस्पात का उपार्जन व वितरण निगम की स्थापना से ही एक प्रमुख गतिविधी रही है। जनवरी 1992 से विनियंत्रण एवं भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण लौह एवं इस्पात स्थानीय बाजार में सुलभता से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार वर्ष 1993–94 एवं 94–95 में ठहराव आने के बाद निगम द्वारा अथक प्रयास कर इस व्यवसाय को पुनर्जीवन प्रदान किया गया ।

वर्ष 2001–02 से राज्य में पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों से एम.ओ.यू. कर एवं बिना एम.ओ.यू. आधार पर लौहा इस्पात, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 15670.00 मैट्रिक टन का व्यापार अर्जित किया गया है।

कच्चा माल व्यापारावर्त का तुलनात्मक विवरण :–

क्र. सं.	आईटम का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 माह दिसम्बर, 20 तक	
		मात्रा टन में	व्यापारावर्त रूपये लाखों में	मात्रा टन में	व्यापारावर्त रूपये लाखों में	मात्रा टन में	व्यापारावर्त रूपये लाखों में
1.	लोहा एवं इस्पात	15670.00	7218.06	29.450	12.05	–	–
	योग	15670.00	7218.06	29.450	12.05	–	–

लोह इस्पात के विपणन पर निगम को भारत सरकार के लोह इस्पात मत्रालय द्वारा एस.एस.आई. रिबेट राशि 550/– रूपये प्रति मै0 टन दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार द्वारा उक्त रिबेट देना बन्द कर दिया जिसके कारण वर्ष 2020–21 में लोह इस्पात का उपार्जन व वितरण का कार्य बन्द कर दिया गया है।

निगम का कच्चा माल अनुभाग उक्त वर्णित आइटम मुख्य उत्पादकों से सेल, आर.आई.एन.एल. से उपार्जित कर उपभोक्ता लघु उद्योग इकाइयों को वितरित करता है। वर्ष 2015–16 से कोयले की मांग न होने के कारण क्रय–विक्रय नहीं किया है ।

2. लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सहायता :–

(ब) राजस्थान सरकार के ''सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग –2'' के नियम 30 के अर्न्तगत प्रावधान है कि राजकीय विभाग एवं संस्थाऐं कतिपय विशिष्ठ सामग्री बिना निविदा के राजस्थान लघु उद्योग निगम से क्रय कर सकते हैं। उक्त सामग्री में से निगम की विपणन शाखा द्वारा निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति करवाई जाती है :–

1. पॉलीथीन बैग्स
2. कांटेदार तार
3. टेन्ट एवं त्रिपाल
4. स्टील फर्नीचर
5. एंगल आयरन पोस्ट (वन विभाग की सहमति से)

राज्य की लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से उक्त सामग्री केवल राज्य की लघु उद्योग इकाईयों से ही उत्पादों की आपूर्ति करवाई जाती है। विगत वर्षों में विभिन्न राजकीय विभागों एवं संस्थाओं को आपूर्ति करवाई गई सामग्री का (व्यापारावर्त) तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

लघु उद्योग उत्पादों के विपणन का तुलनात्मक व्यापारावर्त

क्र.सं.	आपूर्ति सामग्री का नाम	बिक्री (लाखों में)		
		2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर–20 तक)
1.	पोलिथीन बैग्स	12.27	–	–
2.	कांटेदार तार	188.58	–	38.31
3.	टैन्ट एवं त्रिपाल	221.05	325.26	119.36
4.	स्टील फर्नीचर	550.31	56.89	59.58
5.	एंगल आयरन पोस्ट	40.72	–	10.15
	कुल बिक्री	1012.93	382.15	227.40

3. निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएँ

राज्य में निर्यातोन्मुखी गतिविधि को सुदृढ़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर कारगो कॉम्पलेक्स व इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना में निगम की प्रमुख भूमिका रही है। इस कड़ी में सर्वप्रथम वर्ष 1979 में जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर एयर कारगो कॉम्पलैक्स की स्थापना की गई थी। वर्ष 1979–80 में यहाँ से मात्र 7.00 करोड़ रुपये का आयात/निर्यात व्यापारावर्त हुआ था, जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर राशि 2678.65 करोड़ मूल्य का हो गया। एयर कारगो कॉम्पलैक्स से शुरूआत में सीमित वस्तुओं के आयात/निर्यात की अनुमति थी। इसके पश्चात कुछ और वस्तुओं को सूचीबद्व किया गया । अप्रैल 1999 से एयर कारगो कॉम्पलैक्स के माध्यम से समस्त प्रकार की वस्तुओं के आयात/निर्यात की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई।

सेवा में सुधार के उद्देश्य से एयर कारगो कॉम्पलैक्स में माल के भंडारण हेतु अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करते हुए व्यापक नवीनीकरण कार्य कराया गया। अभी वर्ष 2019 में आधुनिक प्रणाली की एक्सरे मशीन व विस्फोटक पदार्थो की जॉच के लिए ई.टी.डी. मशीन स्थापित की गई है। जिससे जॉच की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके फलस्वरूप 24 घण्टे की निर्धारित कूलिंग–पीरियड के कारण होने वाला विलम्ब समाप्त हो गया और मार्गीय समय में कमी आई। माह दिसम्बर 2004 में सीमा शुल्क विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाने/ले जाने वाले नगीनों व जवाहरात के आयात/निर्यात के पार्सल की कस्टोडियनशिप भी निगम को दे दी गयी ।

राज्य में चार आई.सी.डी. जो कि जयपुर में वर्ष 1989 जोधपुर, 1995 भिवाडी, 1999 तथा भीलवाडा वर्ष 2000 में स्थापित की गई । यह चारों आई.सी.डी. वर्ष 2000–2001 में राज्य के निजी व कोनकोर (भारत सरकार का उपक्रम) की आई.सी.डी. स्थापना के पश्चात प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आ गई। इसके पश्चात भी वर्ष 2009 तक आयात/निर्यात के कार्य में सुचारू रूप से संचालित रही वर्ष 2009 में सीमाशुल्क विभाग द्वारा आई.सी.डी. जयपुर व जोधपुर के लिये आउट सोर्सिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त सफलता प्राप्त की जा चुकी है। इसी क्रम में आई.सी.डी. जोधपुर में दिनांक 9.12.2014 से कार्य संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा आई.सी.डी. जयपुर में भी माह जून, 2015 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जयपुर

(मात्रा टी.ई.यू.) (मूल्य रू लाखों में)

वर्ष	निर्यात		आयात		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2018–19	–	–	–	–	–	–
2019–20	893	8572.98	–	–	893	8572.98
2020–21 (माह दिसम्बर ,2020 तक)	601	5997.41	–	–	601	5997.41

वर्ष 2020–21 में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जयपुर ने माह दिसम्बर 2020 तक रू. 129.42 लाख का व्यापारावर्त किया है ।

इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जोधपुर

(मात्रा टी.ई.यू.) (मूल्य रू लाखों में)

वर्ष	निर्यात		आयात		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2018–19	4858	33431.34	2	9.22	4860	33440.56
2019–20	4671	34125.05	36	84.73	4707	34209.78
2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)	4898	34867.41	–	–	4898	34867.41

वर्ष 2020–21 में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जोधपुर ने माह दिसम्बर 2020 तक रू. 992.47 लाख का व्यापारावर्त किया है ।

एयर कारगो कॉम्पलैक्स, जयपुर

(मात्रा मै. टन) (मूल्य रू लाखों में)

वर्ष	निर्यात		आयात		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2018–19	1602.00	287619.01	471.00	222395.72	2073.00	510014.73
2019–20	1518.45	111065.34	292.74	156800.08	1811.19	267865.42
2020–21 (दिसम्बर, 20 तक)	331.35	128547.45	87.59	61360.36	418.94	189907.81

वर्ष 2020–21 में इस इकाई ने माह दिसम्बर, 2020 तक 178.85 लाख रूपये का व्यापारावर्त किया है।

1. एयर कारगो काम्पलेक्स जयपुर के लिये सीमा शुल्क विभाग से आउटसोर्सिग कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त जुलाई 2020 से हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस्पोर्टेशन एजेन्ट की नियुक्ति कर दि गई है। एच. एण्ड.टी.ने एयर कारगो काम्पलेक्स पर निगम के लिए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।
2. इनलैण्ड कंटेनर डिपो भीलवाडा के लिये हैण्डलिंग एवं ट्रास्पोर्टेशन ऐजेंट नियुक्त किया जा चुका है एवं अप्रेल 2021 से भीलवाडा इनलैण्ड कंटेनर डिपो कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

सार– संक्षेप

1. लोक कल्याणकारी कार्यक्रम :–

राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार रीको, वित्त निगम एवं राजसिको द्वारा एक करोड रूपये का संयुक्त कोष बनाया गया है । जिसके द्वारा जरूरतमन्द दस्तकारों को उनकी गंभीर बीमारियों जैसे टी.बी., कैन्सर, बाईपास सर्जरी एवं गुर्दा प्रत्यारोपण इत्यादि में वित्तीय सहायता तथा उनके बच्चों की शिक्षा, सामूहिक बीमा एवं वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु उपयोग लिए जाने का प्रावधान है।

सुयोग्य दक्ष दस्तकारों को वृद्धावस्था पेंशन राशि रूपये 1000/– प्रति माह का भुगतान का प्रावधान है एवं उत्कृष्ट दस्तकारों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत हस्तशिल्पियों को नगद 25000/– तथा दक्षता प्रमाण पत्र से सम्मानित राशि 5000/– का भुगतान का प्रावधान है ।

2. विभाग की गतिविधियों एवं नीतियों का विवरण :–

1. राजसिको द्वारा 4 राजस्थलियों (क्रमशः जयपुर, जगदीश चौक उदयपुर, दिल्ली, व गरियाहाट–कोलकाता) के माध्यम से राज्य के दस्तकारो द्वारा बनाया हस्तशिल्प सामान देशी व विदेशी पर्यटकों को विक्रय किया जाता है ।
2. राजसिको द्वारा प्रदेश के दस्तकारो का उत्पाद क्रय किया जाता है, जिससे दस्तकारों को अपना उत्पाद विक्रय करने के लिये कोई समस्या नहीं आती है ।
3. राजसिको द्वारा ऑनलाइन बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित ebazaar.rajasthan.gov.in के माध्यम से उत्पाद बिक्री किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
4. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में निगम को प्रशंसा/पुरस्कार वर्ष 2004 में कमेन्डेशन मेडल, 2005 में निजी क्षेत्र के सहयोग से सुफल परिणाम में सफलता प्राप्त की तथा 2006 में स्पेशल कमेन्डेशन मेडल प्राप्त किया। वर्ष 2010 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अध्यक्ष प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2012 में कांस्य पदक दिया गया एवं 2018 में प्रशंसा पत्र दिया गया।

Printed by : PRINT-O-PRINT #94140 43784